न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी--श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 38/18 तारीख रजू- 16/03/2018

जनस्या पुत्र वजीरा जाति गद्दी निवासी दोनायचा तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।

---अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूगंर । ------- रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय दिनांक--. 20.8.18

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूगंर द्वारा मिसल संख्या 446/16 मे पारित निर्णय दिनांक 30/01/17 विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा के आराजी खसरा नं0 1011 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है ओर न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मोके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चावर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद--आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद--आराजीयात पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं था, सांथ ही अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट द्वारा बार--बार चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा।अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ । जहां तक अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशंषा भी की है।साथ ही पटवारी हल्का के बयान भी संलग्न है । जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त कर कब्जा किया हुआ है ,यदि अपीलान्ट की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने को बढावा मिलेगा जो कि पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है। मैं पेरोकार सरकार की बहस से सहमत हूँ। ऐसी स्थिती में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/01/17 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर